न्यायालय सहायक कलक्टर नरवर

म. सूचीका में होपा की.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

म.नं. 105/2015.

(9)

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/24	पत्रा० आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 07 R 11 व 151 सी.पी.सी. के तहत पेश हुआ बमुलाहिजा उपस्थित वकील प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया पाया; प्रार्थी वकील ने प्रति- ने दौरान बहस कथन किया कि- विवादित आराजी की मुकमल की पैमाइश मसले कुछ दावा पेश किया है, मुकमल की मृत्यु के बाद, विरासत कानिला खारिज स. 534 दि. 26.6.14 से प्रतिवादी स.1 होपा पेश मुकमल के अन्य के नाम खातेदारी दर्ज की गई, विरासत के आधार पर प्रतिवादी सि. रूपचंद स.5 ने अपने हिस्से के हकों की डिक्रीधारी परिये रजि. डिक्री धारी- म्यूट- 2- दिनांक- 26/5/14 व 26.6.14 के प्रतिवादी स.1 के हक में कर दिया गया है इस प्रकार- प्रति- 1365 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का आराजी का त्याग कर दिया गया है अब इनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा। इस प्रकार होपा सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी हो गई है। होपा से दिनांक- 4.5.15 को हमने परिये रजि. बयनामा आराजी- खरीदकर तथा मौका पर काबिज काश्त हूँ। इस प्रकार प्रति सि.1 होपा को जो खातेदारी मिली थी उसमें 1/2 मुकमल से विरासत एवं बोध आराजी- डिक्रीधारी से जो वाद- एवं प्रति- 1365 ने 26/5/14 व 26.6.14 रजि. करा रहे हैं को- अवैधानिक- तीनों दस्तावेजातों को निरस्त- करने का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं- होपा को सम्पूर्ण आराजी नियमानुसार आवंटित है, उक्त डिक्री उपरोक्त से सही की है। इन्होंने सिविल कोर्ट में कहीं चैलेंज नहीं किया है। दावा- न्यायालय को अधिकार बाहर होने के कारण- आर्डर 7 के तहत लिया द्वारा वापस है, का.पा.पत्र- स्वीकार कर दावा- खारिज किया जाकी- नजीर- 2021 (2) RAJ CRD 1154, महेश W. भाया बनाम वर्गो, 2021 (2) RAJ CRD 1180. मनीराम बनाम भाम कोरी और कोई अन्य रिट- RST 2022 देव- पपप, अनिल कुमार पाण्डे; RST 2022 (2) नरेशचंद्र लोधा पेश की- गई

सहायक कलक्टर
नरवर जिला अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वकील वादी अभियुक्त ने कोर्ट फीस जमा किया गया वाद पत्र - 86, 89, के तहत पेश आपसी में आपसी सुलह होने बाबत पेश किया है, अभियुक्त स्वयं सहमत है कि विवादित आपसी समझौते से खारिज वाद हुई है, लिखित B. 26/5/14, 2/6/14 के वादी - प्रतिवादी - जिसमें आपके द्वारा लक्ष्मण सिंह और इकरारनामा किया गया 26/5/14 को हुआ है उसे पूर्ण है। वादी तथा सिविल न्यायालय में तीनों हलफनामे जो की शून्य करार के बाबत वाद पेश किया हुआ है, तथा लिखित इकरारनामा से जो बातें थी वो नियमानुसार होती है, इनके लिखित में बयानों में जो बातें अवैध थी तथा शून्य थी वादी को बातें हानि कारक की होने के हेतु राम की धारा 86, 89, 188 के ही प्रकरण प्रावधान है। और स्वतः हानि कारक की पालना बाबत सिविल न्यायालय पक्षकार को कुछ नहीं है तथा अभियुक्त को धारा 107/10 पेश किया गया उसमें भरती स्वीकार किया गया उसके द्वारा दोनों वादी विना उपस्थित आपस में समझौता है इनके द्वारा धारा के अनुपालन पेश किया है। धारा आदि क्रम से धारण किया जावे।

लिखित में प्रार्थी वकील ने कहा कि इनके द्वारा तीनों हलफनामे को चैलेंज नहीं किया है नहीं सिविल कोर्ट में वाद पेश किया गया है इनका इकरारनामा होने से होने में अंतर नहीं है तथा दावे से पूर्व इकरारनामा है तथा इकरारनामा में कोई भी लिखित का अंतर नहीं है। मेरा धारा 107/10 के वादकारी को पेश वाद पत्र प्रतिकार्य कोई नहीं किया गया है। अतः स्वीकार कर धारा 107 किया जावे।

हमने उपपंजीकार की बहस पत्रों का अवलोकन किया तो पाया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र 86, 89, 188 राम की बातें हानि होने का

हुक्म या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज

(10)

नाम व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पैतृक आराजी मानते हुए अपना हिस्सा छोड़ने के बाबत पेश किया है। वादिनि आराजी-नकी अतोरिक्त रिवाज है। इन्हें विवादित आराजी-नकीयत को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की पैतृक आराजी है। जो कि आराजी-पूर्व मृतक भगवान के उत्तराधिकारी और मृतक उत्तराधिकारी के आराजी-2.4, 3.24 बिस्वा-2 बीघा है। जिसका विवाद [illegible] की प्राप्त हुई। जो कि नकल आराजी के वर्ष 2017-18 परलगी विरासतन तौर से काबिज है। विरासत के आधार पर अन्य हिस्सेदार यानि कि वादीगण को प्रतिवादी सं. 2 to 5 द्वारा अपने हिस्से के हक को नि परित्याग करिये रजि. रिलीजडीड दिनांक 2 तारीख 8/3/14 व 26/6/14 को प्रतिवादी सं. 1 के हक में अपने पूर्ण हिस्से की आराजी कर दी गई इस प्रकार डीपा प्रतिवादी सं. 1 पश्चात् हिस्से की खातेदार हो जाने तथा प्रतिवादी सं. 1 ने खस. 86/0.14 हैक्टेयर में से 1/4 हि. प्रतिवादी सं. 4 व 10 के निमित्त पी.डी.एफ. को बेचने के लिए खरीद करके रजि. बयनामा की गई। इस तरह से प्रतिवादी सं. 1 डीपा को जो खातेदारी यानि 1 हिस्सा पैतृक तौर से विरासत से मिली है। इस प्रकार उक्त रिलीजडीड दि. 26/3/14 व 2.6.14 को सिखला-पढ़ाकर से निरस्त नहीं करा लेते तब तक वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इस प्रकार डीपा की जो आराजी प्राप्त हुई है वह नियमानुसार उक्त फैसले के आधार पर आदेश। इस प्रकार उक्त डीपा को अधिकार से बाहर होने से धारा 207 के तहत विधि से वाकिफ है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकीयत उक्त दा. पत्र पर लागू होती है। अतः दा. पत्र 07 R 11 के 15 धारा के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी की तरफ पर खारिज किया जाता है। [illegible] दायिल करार है।

सहायक कलक्टर
जिला जयपुर
नवबई (मिरजापुर)